



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 जनवरी, 2021

माघ 8, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या 1649/36-03-2020-108(सा०)-2020

लखनऊ, 28 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प0आ०-22

“उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निदेश देती हैं कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध, जिला लखीमपुर खीरी के निघासन, भीरा एवं मितौली क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से लागू होंगे।”

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1649/XXXVI-03-2020-108(Sa)-2020, dated January 28, 2021 for general information:

No. 1649/XXXVI-03-2020-108(Sa)-2020

Dated Lucknow, January 28, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. XXVI of 1962), the Governor is pleased to direct that all the provisions of said Act shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, apply to all shops and commercial establishments situated in the Nighasan, Bhira and Mithauli area of District Lakhimpur Kheri.

By order,
SURESH CHANDRA,
Apar Mukhya Sachiv.